

कार्यालय,
सर्वीय, आर्थिक शिक्षा विभाग,
सर्वीय प्रदेश, जयपुर।

संख्या: आर्थिक/परिपद/संख्या/2019/1147

संबन्धित दिनांक: 15.06.2019

कार्यालय: जयपुर

विषय: सर्वीय आर्थिक शिक्षा विभाग परिपद द्वारा सर्वीय सं. 2019-20 एवं डिप्लोमा प्रसारण करने के लिए सम्बन्धित आ सम्बन्धित प्रदान किए जाने के संबंध में आर्थिक शिक्षा विभाग, सर्वीय प्रदेश में सम्बन्धित सम्बन्धित विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14.06.2019 को जारी दिनांक 14.06.2019 को जारी की गई थी। यह परिपद आर्थिक शिक्षा विभाग, सर्वीय प्रदेश में सर्वीय सं. 2019-20 हेतु सम्बन्धित विभाग/कार्यालय प्रदान करने हेतु सर्वीय सं. 2019-20 हेतु सम्बन्धित विभाग/कार्यालय प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की मदद के लिए 3 न. दिनांक 15.06.2019 को सर्वीय सं. 2019-20 हेतु सम्बन्धित विभाग प्रदान करने के लिए सर्वीय सं. 2019-20 हेतु सम्बन्धित विभाग प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बन्धित डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से सलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बन्धित विस्तार प्रदान करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिपद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिपद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।

उक्त निम्नानुसार सम्बन्धित संस्था को परिपद की निरीक्षण समिति का विभाग विभाग द्वारा को गयी जायेगी। सम्बन्धित समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राथमिक विभाग परिपद 20 प्रवेश परीक्षा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित संस्था के अर्जन पाठ्यक्रम एवं उरारी अंकित प्रदान करने हेतु सम्बन्धित विभाग को जारी है।

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन प्रवेश क्षमता	परिपद द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन प्रवेश क्षमता
1	मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय, रायपुर विभाग: आर्थिक शिक्षा	डिप्लोमा इन फार्मसी	05	05

संबन्धित हेतु संक्षेप

- ✓ सर्वीय सं. 2019-20 हेतु सम्बन्धित विभाग प्रदान करने के लिए सर्वीय सं. 2019-20 हेतु सम्बन्धित विभाग प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- ✓ सर्वीय सं. 2019-20 हेतु सम्बन्धित विभाग प्रदान करने के लिए सर्वीय सं. 2019-20 हेतु सम्बन्धित विभाग प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4888	आई०टी०एग० कॉलेज ऑफ फार्मैसी, महाराजगंज।	डिप्लोमा इन फार्मैसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेप्टेम्बर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शक्तान द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया

जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा अन्य समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमसूची-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0टी0डी0/पी0सी0आई0 से आभासी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अभिलेखों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशक प्राथमिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये विधायक विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुकसान या नुकसान का भय उत्पन्न करने के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग कार्य होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश ही (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आख्यान नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, सत्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध रखने के साथ शैक्षणिक लक्ष्यों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-मयन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वातावरण के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त वातावरण किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(500-2020/20) संस्था
सचिव

तद दिनांक 15-09-2020

पृष्ठ सं- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, आई0टी0एन0 कॉलेज जीक फार्मसी, महाराजगंज।

(500-2020/20) संस्था
सचिव

4/16

Page
4/28/2016

Handwritten signature
Dr. [Name]
[Title]

4/16

404-852-1212 FAX: 404-852-1213

STUDENT
FARMACIA/UNIVERSITY COLLEGE OF PHARMACY, MAHARAJAH